खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (नगर निवेशन विभाग) धनबाद

पत्र सं० 260 बोकारो, दिनांक 22-6-02

सेवा में,

श्री मती मंजु देवी

पति श्री सुरेश कुमार सिंह

धमशाला मोड़ चास, बोकारो

विषय :- प्रस्तावित भवन निर्माण करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

केश नं० २७-०२-०२

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपका आवेदन दिनांक २४-४-०२ के प्रसंग में सूचित करना है कि बिहार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम १९८६ की धारा ३० (२) के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन मौजा नं० 30 का खाता नं० १०८ प्लौट नं० ५९९० भाग माग पर भवन निर्माण करने की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक के द्वारा प्रदान की गयी है।

अत: स्वीकृत नक्शे की एक प्रति निम्नलिखित शर्तों के साथ आपको भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि :-

१) प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व संलग्न प्रपत्र VIII को भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है।

२) प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञाप्तिधारी की देख-रेख में करायी जाय ताकि वे समय-समय पर निर्माण से सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें।

३) प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र को प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।

४) गृह निर्माण पूर्ण रुपेण स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना है।

५) ड्रेनेज को व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पानी का निकास समुचित हो सके।

६) गृह निर्माण का निरीक्षण प्रधिकार के किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रतिकूल पाये गये निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जा सकता है।

विश्वासभाजन

18/6/02

कार्यपालक अभियन्ता

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद

अनु०:- स्वीकृत नक्शे की प्रति

17/6/02

मंजु देवी